इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 जनवरी 2018—पौष 16, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी, 2018

क्र. 323-3-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिसपर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०१८

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१७

[दिनांक ४ जनवरी, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ६ जनवरी, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा २ में, खण्ड (क-दो)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(क-दो) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है, तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का कोई शासकीय सेवक अथवा सोसाइटी अथवा सोसाइटी के उसी वर्ग के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सोसाइटी के कारबार के संचालन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा जो रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा;''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ५ सन् २०१७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2018

क्र. 323-3-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2018

THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th January, 2018].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), for clause (a-ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a-ii) "Administrator" means any Government Servant, not below the rank of class III executive or any person eligible for election as a member of the Board of Directors of Society or same class of Society, who has been appointed as Administrator by the Registrar under the provisions of this Act, to conduct the business of the Society and who shall work under the control and guidance of the Registrar;".

Repeal and saving.

3.(1) The Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2017 (No. 5 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.